न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 182/2023 प्रार्थना पत्र
GCMS No. – 2023/560

1. श्री मैसर्स वण्डर सीमेन्ट लिमीटेड मकराना रोड मदनगंज किशनगढ़ अजमेर 17 ओल्ड फतेहपुरा, उदयपुर एवं आर०के० नगर निम्बाहेडा जरिये युनिट हेड नितिन जैन पुत्र राजेन्द्र कुमार जैन जाति जैन आयु 48 वर्ष निवासी भीलवाडा हाल मुकाम आर0के0 नगर वण्डर सीमेन्ट निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

.......प्रार्थी

//बनाम/

1. चेनराम दत्तक पुत्र नारायण जी पुत्र चतरुजी जाति डांगी आयु 33 वर्ष पेशा काश्त निवासी सांगरिया तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. पृथ्वीराज पुत्र भगवानजी जाति डांगी आयु 53 वर्ष पेशा कारत निवासी सांगरिया तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारी तहसीलदार साहब निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

.....विपक्षीगण

आवेदन पत्र तहत धारा 229 राज0टी0एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री ऋषभ कुमार सेठिया – अधिवक्ता वादी
2– श्री शम्भूलाल तेली – अधिवक्ता प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक :– 06.10.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि ग्राम सांगरिया तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ में विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी नम्बर 18 रकबा 0.2300 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 367 रकबा 0.2700 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 402 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 577 रकबा 0.2400 हैक्टैयर, कुल किता 04 कुल रकबा 1.0300 हैक्टेयर भूमि में में विपक्षी नम्बर 1 का 1/2 तथा विपक्षी नम्बर 2 का 1/2 हक खातेदारी दर्ज रेकार्ड था।

2. वादग्रस्त आराजियात पर विपक्षी नं० 1 श्री चेनराम दत्तक पुत्र श्री नारायण जी पुत्र चतरुजी डांगी निवासी सांगरिया [illegible] 0.2300 हे० एवं आराजी नं0 577 तादादी 0.2400 हे० का अपना [illegible] हिस्सा खातेदारी प्रार्थी को 10,00,000/रुपये अक्षरे दस [illegible] में वि[illegible] कर दी जिसका विक्रय पत्र विपक्षी नं० 1 ने प्रार्थी के प[illegible] जरिये चैक नं[illegible]269 एचडीएफसी बैंक दिनांक 19/05/2023 से प्रा[illegible] कर कब्जा प्रार्थी केता[illegible]पुर्द कर दिया तथा दिनांक 19/05/2023 को ही विपक्षी नं० 1 ने विकीत शुदा उपरोक्त दोनो आराजी नं० 18 एवं आराजी नं0 577 मौजा सांगरिया के 1/2 भाग का विक्रय पत्र रुबरु गवाहन निष्पादित कर सुनसमझकर गवाही गवाहन करा अपने हस्ताक्षर कर बयनामा निष्पादित कर दिनांक 19/05/2023 को पंजीकृत करा दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:20:44 IST
Reason: SelfAttested

3. विपक्षी नं० 1 ने उसके द्वारा माननीय न्यायालय आप में विचाराधीन वाद प्र०सं० 46/2020 ई०रे० चेनराम बनाम पृथ्वीराज आदि की जानकारी होते हुवे भी प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं दी तथा उपरोक्त वर्णित शामलाती खातेदारी की आराजी नं0 18 एवं 577 मौजा सांगरिया को प्रार्थी को पंजीकृत विक्रय पत्र से दिनांक 19/05/2023 को विकित कर कब्जा सुपुर्द किया। विपक्षी नं० 1 द्वारा दायर वाद के प्राथमिक डिक्री के निर्णय दिनांक 24/05/2023 से पूर्व ही प्रार्थी को विकित कर दी थी, विकित करने का तथ्य विपक्षी नं० 1 की जानकारी मे पूर्ण रूप से था, फिर भी विपक्षी नं० 1 ने गलत बयानी कर माननीय न्यायालय में तथ्य छुपाकर विभाजन की डिक्री प्राप्त कर ली तथा प्राथमिक डिक्री दिनांक 24/05/2023 के अनुसार विभाजन दिनांक 07/08/2023 को अंतिम डिक्री प्राप्त कर ली। प्रार्थी को माननीय न्यायालय आपके निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 01/09/2023 को होते ही प्रमाणित प्रतिलिपीयां निर्णय व डिक्री अदालत आप की प्रमाणित प्रतिलिपीयां प्राप्त की प्रार्थी का आराजी नं0 18 व 577 मौजा सांगरिया मे 1/2 हक का सदभावी क्रेता है परन्तु विपक्षीगण ने दुरभीसंधी कर आराजी नम्बर 18 सम्पूर्ण तादादी 0.2300 हैक्टेयर विपक्षी नम्बर 1 के हिस्से मे तथा आराजी नम्बर 577 रकबा 0.24 है0

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगणो को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शम्भूलाल तेली ने जवाब मय वकालतनामा पेश किया। विपक्षी संख्या 1 ने अपने जवाब में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा रिव्यू किये जाने में विपक्षी नम्बर 1 को कोई आपत्ति नहीं होना बताया। विपक्षी संख्या 2 व 3 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का ओदश दिए गए।

5. वकील प्रार्थी ने दस्तावेज में न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 46/2020 वाद में हुए निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 07.08.2023 की प्रमाणित प्रति पेश की। मौजा सांगरिया पटवार हल्का बडोलीमाधोसिंह की जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 68 की आराजी नम्बर 367 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 402 रकबा 0.29 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.56 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 205 की आराजी नम्बर 18 रकबा 0.2300 है0, आराजी नम्बर 577 रकबा 0.2400 हैक्टेयर कुल किता–2 रकबा 0.4700 हैक्टेयर की छाया प्रति, पंजीकृत विक्रय अभिलेख दिनांक 19.05.2023 की छाया प्रति पेश की है।

6. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि न्या[illegible] संख्या 46/2020 वाद में निर्णय दिनांक 07.08.2023 को निर्णय एवं [illegible] की गई उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रार्थी ने रिव्यू प्रार्थना पत्र पे[illegible] किया जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजियात मौजा सांगरिया पटवार हल्का बडोलीमाधोसिंह की जमाबन्दी सम्वत 2077–80 की खाता खाता संख्या 205 की आ[illegible] नम्बर 18 रकबा 0.2300 है0, आराजी नम्बर 577 रकबा 0.2400 है0 कुल किता–2 रकबा 0.4700 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 205 की आराजी नम्बर 18 रकबा 0.2300 है0, आराजी नम्बर 577 रकबा 0.2400 हैक्टेयर कुल किता–2 रकबा 0.4700 हैक्टेयर भूमि में विपक्षी नम्बर 1 का 1/2 तथा विपक्षी नम्बर 2 का 1/2 हक खातेदारी दर्ज रेकार्ड था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:20:44 IST
Reason: SelfAttested

मैसर्स वण्डर सीमेंन्ट बनाम चेनराम
प्रकरण संख्या - 182/2023 वाद
GCMS No. – 2023/560

प्रार्थी मैसर्स वण्डर सीमेन्ट लिमिटेड ने खाता संख्या 205 की आराजी नम्बर 18 रकबा 0.2300 है0, आराजी नम्बर 577 रकबा 0.2400 हैक्टेयर कुल किता–2 रकबा 0.4700 हैक्टेयर भूमि में से विपक्षी संख्या 1 श्री चेनराम दत्तक पुत्र श्री नारायण पुत्र चतरु डांगी नवासी सांगरिया का सम्पूर्ण 1/2 हक हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक दिनांक 19.05.2023 से क्रय किया था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौजा सांगरिया की जमाबन्दी संवत् 2077–80 खाता खाता संख्या 205 की आराजी नम्बर 18 रकबा 0.2300 है0, आराजी नम्बर 577 रकबा 0.2400 है0 कुल किता–2 रकबा 0.4700 हैक्टेयर भूमि में विकाव से प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हो चुका है। लेकिन प्रार्थी को जानकारी नहीं होने से न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 46/2020 वाद में विपक्षी संख्या 1 व 2 हक हिस्से अनुसार न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2023 को निर्णय एवं डिक्री पारित की गई थी। जबकि विकाव से मौजा सांगरिया की जमाबन्दी संवत् 2077–80 खाता खाता संख्या 205 की आराजी नम्बर 18 रकबा 0.2300 है0, आराजी नम्बर 577 रकबा 0.2400 है0 कुल किता–2 रकबा 0.4700 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 07.08.2023 को पुर्नः विलोकित (रिव्यु) किये जाने का निवेदन किया तथा प्रार्थी क्रेता के द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.05.2023 के अनुसार मौजा सांगरिया की आराजी नम्बर 18 व 577 में 1/2 हस्ब विक्रय पत्र प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अतः वादग्रस्त आराजियात मौजा सांगरिया की जमाबन्दी संवत् 2077–80 खाता खाता संख्या 205 की आराजी नम्बर 18 रकबा 0.2300 है0, आराजी नम्बर 577 रकबा 0.2400 है0 कुल किता–2 रकबा 0.4700 हैक्टेयर भूमि में विकाव से प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हो चुका है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 46/2020 वाद में निर्णय दिनांक 07.08.2023 को निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर उक्त वाद को पुनः रिव्यु किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर्याप्त सबूतों एवं दस्तावेजों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 46/2020 वाद में हुये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.08.2023 निरस्त कर उक्त वाद को पुनः रिव्यु किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त वाद को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जावे एवं प्रार्थी को उक्त वाद में प्रतिवादी नम्बर 03 के रूप में संयोजित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:20:44 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 06.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/10/23

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा